



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 16 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ (निक्सी) द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के विभागीय साफ्टवेयरों के निर्माण/संशोधन, संचालन आदि हेतु उपलब्ध करायी सेवाओं हेतु दिनांक 28.04.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक की अवधि (05 माह 03 दिन) के लिए भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वा०क०अधि०/कम्प्यूटर केन्द्र/1850/2026 दिनांक 30-05-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय कार्यहित में एन०आई०एस०, योजना भवन, लखनऊ (निक्सी) द्वारा Project ID: S190382MPUP के अंतर्गत वाणिज्य कर अधिकरण को उपलब्ध कराए जा रहे मैनपावर हेतु दिनांक 28.04.2026 से दिनांक 30.09.2026 तक (05 माह 03 दिन) हेतु प्रस्तुत Invoice No. PMPUP260936, Date: 08.05.2026 की प्रति उपलब्ध कराते हुए रु० 4,97,138.97 (चार लाख सत्तानवे हजार एक सौ अड़तीस रुपया सत्तानवे पैसे मात्र) का अग्रिम भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-34/2026/1/1292526/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद प्रावधानित धनराशि रु० 15.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रजिस्ट्रार, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कार्यहित में एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ (निक्सी) द्वारा विभागीय साफ्टवेयरों के निर्माण/संशोधन, संचालन आदि हेतु दिनांक 28.04.2026 से दिनांक 30.09.2026 (05 माह 03 दिन) तक उपलब्ध करायी सेवाओं हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में रजिस्ट्रार-वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित धनराशि में से ₹0 4,97,138.97/- (चार लाख सत्तानवे हजार एक सौ अड़तीस रुपये सत्तानवे पैसे मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

1. भविष्य में यदि विषयगत कार्य/सेवा की आवश्यकता है, तो नियमानुसार संस्था का चयन कर सेवाएँ प्राप्त की जाए।
 2. धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व रजिस्ट्रार-वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
 3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
 4. रजिस्ट्रार-वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।
 5. धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।
 6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ (निक्सी), लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
8. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।